

प्रेषक,

मुख्य सचिव,

उ. प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उ. प्र. शासन।

सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13(विविध)

लखनऊ: दिनांक 28 अप्रैल, 2015

विषय- शासनादेशों को ऑनलाइन वेबसाइट <http://shasanadesh.up.nic.in> पर निर्गत करने एवं अपलोड करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ. प्र. के विकास हेतु शासन के एजेण्डा वर्ष 2015-16 में निर्धारित सूत्र संख्या-133 के अन्तर्गत शासन के समस्त विभागों द्वारा शासनादेशों को ऑनलाइन वेबसाइट <http://shasanadesh.up.nic.in> पर निर्गत करने तथा अपलोड करने की कार्यवाही की जा रही है। विभिन्न आदेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि शासनादेशों की वैधता सुनिश्चित किये जाने हेतु उन्हें ऑनलाइन ही वेबसाइट <http://shasanadesh.up.nic.in> पर निर्गत एवं अपलोड किया जाना अनिवार्य है। कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1102/बीस-13-2014-4(विविध)/13टीसी-3, दिनांक 07 मई, 2014 द्वारा वेबसाइट पर आवश्यक रूप से अपलोड किये जाने वाले आदेशों/शासनादेशों के विषयों को इंगित किया गया था ताकि ऑनलाइन निर्गत/अपलोड किये जाने वाले शासनादेशों के सम्बन्ध में कोई भ्रम की स्थिति न रहे। परन्तु इतने प्रयासों के बाद भी कई विभागों द्वारा शासनादेश ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से निर्गत नहीं किये जा रहे हैं एवं अक्सर कई शासनादेश सामने आ जाते हैं जो कृतिदेव या अन्य किसी फाण्ट में टंकित हैं तथा वेबसाइट के माध्यम से निर्गत नहीं किये गये हैं। कुछ ऐसे शासनादेश भी संज्ञान में आये हैं जो वेबसाइट पर अपलोडेड हैं परन्तु उनके फाण्ट में लिपिकीय त्रुटियाँ हैं। इस समस्या का मुख्य कारण अनुभाग स्तर पर शासनादेशों के आलेख का प्रारम्भ से ही मंगल फाण्ट में टंकित न किया जाना प्रतीत होता है।

2- ऑनलाइन जारी किये जाने वाले शासनादेशों को **यूनिकोड मंगल फाण्ट में ही टंकित किये जाने के निर्देश** शासनादेश संख्या-1/1486/बीस-13-वि-2014-4(विविध)/13-टीसी-1, दिनांक 07 जुलाई, 2014 द्वारा प्रसारित किये गये थे। राज्य सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालय/ उपक्रमों में केवल यूनिकोड मंगल फाण्ट का प्रयोग सुनिश्चित किये जाने हेतु आई. टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा भी शासनादेश संख्या-30/1263/78-2-2014-160आई.टी./2014, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 निर्गत किया गया है। इसके बाद भी कतिपय विभागों द्वारा वेबसाइट पर ऐसे शासनादेश अपलोड कर दिये गये हैं जिनमें कुछ शब्दों में मात्रायें व अक्षर अंकित नहीं हैं। ऐसा सम्भवतः कृतिदेव या किसी अन्य फाण्ट में प्रारम्भिक आलेख्य टंकित कर उसे बाद में यूनिकोड मंगल फाण्ट में convert करने के कारण हुआ है। उपरोक्त के दृष्टिगत **अनुभाग अधिकारियों को पुनः यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाना आवश्यक है कि वह प्रारम्भ से ही शासनादेश का आलेख्य यूनिकोड मंगल फाण्ट में ही टंकित करायें।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- अनुभाग स्तर पर अधिकारियों की सहायता हेतु वेबसाइट <http://shasanadesh.up.nic.in> पर एक मॉडल MS WORD TEMPLATE फाइल भी उपलब्ध करा दी गयी है जिसे अनुभाग अधिकारियों द्वारा अपने लॉग इन पेज पर दिये गये लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त फाइल के मध्य में वाटरमार्क स्वतः प्रदर्शित है तथा पेज के सबसे नीचे फुटर में दो वाक्यों के माध्यम से आनलाइन निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों पर हस्ताक्षर की आवश्यकता न

होने तथा ऑनलाइन निर्गत शासनादेश की वैधता उपरिवर्णित वेबसाइट से सत्यापित किये जाने की स्थिति स्पष्ट की गयी है। अनुभाग अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रारम्भ से ही शासनादेश का आलेख्य मंगल फाण्ट में इसी MS WORD TEMPLATE फाइल में टंकित करायें। सुलभ संदर्भ हेतु इसकी एक प्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जा रही है। इसके प्रयोग से अनुभाग स्तर पर किसी अन्य फाण्ट में आलेख्य टंकित करने एवं अनुमोदन के पश्चात उसे मंगल फाण्ट में convert कर वेबसाइट <http://shasanadesh.up.nic.in> पर अपलोड करने में होने वाली असुविधा व सम्भावित त्रुटियों से बचा जा सकेगा।

4- अतः आपके स्तर पर यह सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की जाती है कि किसी शासनादेश को निर्गत करने से पूर्व जब उसका आलेख्य पत्रावली में अनुमोदन हेतु आपके समक्ष अथवा आपके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो तब यह अवश्य देख लिया जाए कि वह यूनिकोड मंगल फाण्ट में MS WORD TEMPLATE फाइल, जिस पर वाटरमार्क स्वतः प्रदर्शित है तथा नीचे फुटर में दो वाक्यों के माध्यम से ऑनलाइन निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों पर हस्ताक्षर की आवश्यकता न होने तथा ऑनलाइन निर्गत शासनादेश की वैधता उपरिवर्णित वेबसाइट से सत्यापित किये जाने की स्थिति स्पष्ट की गयी है, पर टंकित है अथवा नहीं। यदि सक्षम अधिकारी के समक्ष किसी पत्रावली में किसी शासनादेश का आलेख्य इस प्रस्तर में वर्णित प्रक्रिया से भिन्न प्रस्तुत होता है तो सम्बन्धित प्रस्तुतकर्ता को वेबसाइट <http://shasanadesh.up.nic.in> पर उपलब्ध MS WORD TEMPLATE फाइल पर यूनिकोड मंगल फाण्ट में ही टंकित कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाए। ऑनलाइन निर्गत शासनादेश की MS WORD TEMPLATE फाइल में यूनिकोड मंगल फाण्ट में टंकित व सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित मूल प्रति पत्रावली में कार्यालय प्रति के रूप में रखी जाये तथा कार्यालय प्रति के पार्श्व में स्पष्ट रूप से यह भी अंकित कर दिया जाए कि यह शासनादेश ऑनलाइन निर्गत किया गया है।

5- ऑनलाइन निर्गत किये जाने वाले सभी शासनादेश वेबसाइट <http://shasanadesh.up.nic.in> पर नियमित रूप से निर्गत व अपलोड किये जा रहे हैं या नहीं, की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह सभी अनुभाग अधिकारियों के साथ आपके स्तर पर एक बैठक भी की जाए। इस व्यवस्था के अनुपालन से शासनादेशों के ऑनलाइन निर्गत न होने की सम्भावना शून्य हो जायेगी। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

(आलोक रंजन)

मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।